कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मीरजापुर।

पत्रांक:– एस०एस०ए० / के०जी०बी०वी० / 216-20 /2024–25 दिनांक:– 22-4-2025

प्रेस विज्ञप्ति

उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के रिक्त पदों पर कार्मिकों के चयन / पदस्थापन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–I / 570148 / 2024 File No–68–5099 / 23 / 2024–5 दिनांक 28–05–2024 एवं राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक– के०जी०बी०वी० / 1837 / 2024–25 दिनाक 30.05.2024 तथा संशोधित शासनादेश 68–5099–23 / 2024–अनुभाग–5 (बेसिक शिक्षा) 21.10.2024 राज्य परियोजना पत्रांक– के०जी०बी०वी० / 7114 / 2024–25 दिनाक 28.10.2024 के अनुपालन में चयन समिति के अनुमोदन दिनांक 21 / 02 / 2025 के क्रम में उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर शैक्षिक व शिक्षणेत्तर कार्मिकों के नवीन चयन / पदस्थापन / संविदा अनुबंध की कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश प्रदान किए गये हैं। जनपद मीरजापुर के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों का चयन संविदा के आधार पर 11 माह 29 दिन के लिए निम्नांकित पदों पर किया जायेगा–

01. पद एवं अर्हता (समस्त पद महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित)–

क्र० सं०	पदनाम	पदों की संख्या	आरक्षण की श्रेणी			शैक्षिक अर्हता	वरीयमान अर्हता	निर्धारित मानदेय प्रतिमाह (रूपये में)
			अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु०जाति			
01	प्रधानाचार्य	03	01	01	01	**1.** प्रशिक्षित एम0ए0 (हिन्दी / अंग्रजी) अथवा एम0एस0सी0 (भौतिक विज्ञान / रसायन विज्ञान / जन्तु विज्ञान / वनस्पति विज्ञान / गणित / कम्प्यूटर साइंस) किसी विश्वविद्यालय या संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से सम्बद्ध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से सम्बद्ध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की, जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम चार वर्ष का शिक्षण अनुभव हो या विभाग द्वारामान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाईस्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम चार वर्ष का अनुभव हो, प्रतिबन्ध यह भी है कि वह 30 वर्ष से कम आयु की न हो। **2.** किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इण्टरमीडिएट कक्षाओं में दस वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ–साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या पन्द्रह वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि **या** **3.** विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी, प्रतिबन्ध यह है कि उसने यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्य क्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात क्रमशः 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा की हो।	—	30000 / —
02	पी०जी०टी० हिन्दी	03	01	01	01	हिन्दी में एम0ए0 तथा संस्कृत के साथ बी0ए0 अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी अब सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी	प्रशिक्षित	22000 / —

03	पी०जी०टी० अंग्रेजी	03	01	01	01	नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री) किसी ट्रेनिंग कालेज से एल0टी0 डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।	प्रशिक्षित	22000 / –
04	पी०जी०टी० गणित	03	01	01	01	1. एम०ए० अथवा एम०एस०सी० गणित **अथवा** 2. गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बी०ए० (आनर्स) अथवा बी०एस०सी० (आनर्स)	प्रशिक्षित	22000 / –
05	पी०जी०टी० जीव विज्ञान	03	01	01	01	1. वनस्पति विज्ञान अथवा जन्तु विज्ञान में एम०एस0सी० **अथवा** 2. कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एम०एस०सी०, बी०एस०सी० में जन्तु विज्ञान **अथवा** 3. कृषि विषयक जन्तु विज्ञान के साथ एम०एस०सी०, बी०एस०सी० में वनस्पति विज्ञान **अथवा** 4. यू०जी०सी० द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डिग्री कालेज से एम०एस०सी० (लाइफ साइंस) **अथवा** 5. किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज में शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी०एस०सी०	प्रशिक्षित	22000 / –
06	पी०जी०टी० रसायन विज्ञान	03	01	01	01	1. रसायन विज्ञान में एम0एस0सी0 **अथवा** 2. रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बी0एस0सी0 (आनर्स) **अथवा** 3. यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय / डिग्री कालेज से स्नातकोत्तर (बायोकेमिस्ट्री) **अथवा** 4. किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज से शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी0एस0सी0	प्रशिक्षित	22000 / –

07	पी०जी०टी० भौतिक विज्ञान	03	01	01	01	1. एम०एस0सी० (भौतिक शास्त्र) **अथवा** 2. किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी०एस०सी०	प्रशिक्षित	22000/-
08	कम्प्युटर विज्ञान	03	01	01	01	1. एमटेक (कम्प्यूटर विज्ञान) **अथवा** 2. बी0ई0/बी0टेक (कम्प्यूटर विज्ञान) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से **अथवा** 3. एम0सी0ए0 अथवा एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर विज्ञान) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से **अथवा** "बी" लेवल आफ डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 (डिपार्टमेन्ट आफ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड एक्रीडियेशन आफ कम्प्यूटर कोर्स) **अथवा** 4. स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पी0जी0 डिप्लोमा इन कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से **अथवा** 5. स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बी0एस0सी0 (कम्प्यूटर कोर्स कम्पोनेन्ट कनसेसटिंग ऑफ एट लिस्ट 1/3 ऑफ साइंस कोर्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से) **अथवा** 6. स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ए- लेवल ऑफ डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 (डिपार्टमेन्ट आफ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड एक्रीडियेशन आफ कम्प्यूटर कोर्स)	प्रशिक्षित	22000/-
09	लैब असिस्टेंट	09	04	03	02	हाईस्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लैबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा **अथवा** मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडिएट-विज्ञान वर्ग के साथ		7147/-

10	कार्यालय अधीक्षक / लिपिक					1. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो । 2. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 के साथ–साथ केन्द्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था / शिक्षाबोर्ड / परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो। **अथवा** कम्प्यूटर संचालन DOEACC/NIELIT द्वारा प्रदत्त CCC प्रमाण–पत्र **अथवा** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण–पत्र। **अथवा** कम्प्यूटर साइंस में डिप्लोमा / डिग्री 3. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण गति न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट एवं कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण गति न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट		12430 / –

पूर्व से संचालित के०जी०बी०वी० (कक्षा 06 से 08) के परिसर में नये उच्चीकृत छात्रावास के संचालन हेतु जनपद की निम्न पद रिक्त है–

क्र०सं०	पदनाम	पदों की संख्या	आरक्षण की श्रेणी				शैक्षिक अर्हता	निर्धारित मानदेय प्रतिमाह (रूपये में)	अनिवार्य
			ई०डब्ल्यू०एस०	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु०जाति			
01	चपरासी	06	–	03	01	02	कक्षा–8 उत्तीर्ण	7147 / –	• पद पूर्णकालिक होगा। • विघालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा। • अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
02	चौकीदार	04	–	02	01	01	कक्षा–8 उत्तीर्ण	7147 / –	
03	सहायक रसोइया	05	–	02	01	02	कक्षा–8 उत्तीर्ण	6433 / –	
04	केयर टेकर	03	–	01	01	01	परास्नातक एवं बी0एड0	24200 / –	

नोट– प्रधानाचार्या जिस विषय की अर्हता रखती होगी, उस विषय की पृथक से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा विषय शिक्षण कार्य प्रधानाचार्या द्वारा ही किया जायेगा।

02. आयु–

- प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 01 अप्रैल 2025 को न्यूनतम आयु 30 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी और कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 04 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो।
- शेष पदों पर चयन वर्ष की 01 अप्रैल 2025 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विघालयों में सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी।

03. **आरक्षण–** राज्य सरकार के निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा।

04. **चरित्र–** किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक / चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्व एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे।

05. **चयन प्रक्रिया–**

➢ अभ्यर्थी के चयन के लिए भारांक के अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा–

क्र0सं0	परीक्षा / उपाधि का नाम	गुणवत्ता अंक
1	हाईस्कूल	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X10 / 100
2	इण्टरमीडिएट	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X10 / 100
3	स्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X10 / 100
4	परास्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X10 / 100
5	प्रशिक्षण सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X10 / 100

नोटः–

- ➢ यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम, जो आयु में ज्येष्ठ हो, सूची में उच्चतर रखा जायेगा।
- ➢ यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु समान हो तो अभ्यर्थी का नाम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सूची में रखा जायेगा।
- ➢ रसोईया, सहायक रसोइया, चपरासी एवं चौकीदार के पद पर चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।

06. **सत्यापन–** शिक्षक / शिक्षणेत्तर स्टाफ के चयन के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड / संस्था से कराया जायेगा। कार्मिकों के मूल शैक्षिक अभिलेखों को जिला परियोजना कार्यालय में सुरक्षित / संरक्षित कराया जायेगा। अभिलेखों के सत्यापनोपरान्त ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

नोटः–

01. **आवेदन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।** आवेदन पत्र साफ एवं सुन्दर अक्षरों में सुस्पष्ट हस्तलिखित / टंकित ही स्वीकार्य होगा जिस पर अभ्यर्थी का पूर्ण बायोडाटा अंकित होना अनिवार्य है।
02. विज्ञप्ति में दिये गये पदों में वांछित योग्यता अनिवार्य होगी।
03. राज्य सरकारों के निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत आरक्षण देय होगा।
04. चयन समिति द्वारा रिक्त पद के सापेक्ष 05 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी, जिसे आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सके। शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों हेतु प्रतीक्षा सूची जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन पदान करने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होंगी।
05. प्रत्येक पद हेतु अलग–अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। एक ही आवेदन पत्र में एक से अधिक पदों का उल्लेख करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
06. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में विषयवार / पदवार रिक्त पदों की सूची नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसके सापेक्ष समस्त चयनित अभ्यर्थियों को विकल्प चयन का अवसर प्रदान किया जायेगा।किसी भी प्रकार के बदलाव व सुधार हेतु पूर्ण अधिकार जनपद स्तरीय चयन समिति के पास सुरक्षित होगा।
07. सर्वप्रथम विकलांग महिला अभ्यर्थियों को उनके श्रेष्ठता कम के अनुसार काउन्सलिंग कराने हेतु चयन समिति के सम्मुख विद्यालय चयन का विकल्प प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के सम्मुख नोटिस बोर्ड पर चस्पा विद्यालय की सूची के समरूप सूची के रखी जायेगी। उक्त सूची में से अभ्यर्थी एक रिक्त विद्यालय के सम्मुख अपना नाम विषय एवं हस्ताक्षर अंकित करेगा। उक्त प्रक्रिया प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण की जायेगी।
08. उक्त प्रकिया से काउन्सलिंग के माध्यम से प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी से विकल्प प्राप्त किये जायेगें। मेरिट के आधार पर विकल्प नही देने की स्थिति में समिति द्वारा उक्त अभ्यर्थी का उपलब्ध विद्यालय में पदस्थापन की कार्यवाही की जायेगी।
09. सभी पदों पर मानदेय राज्य परियोजना कार्यालय के समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार देय होगा।
10. आवेदन पत्र पर **आवेदित पद का नाम, वर्ग विषय** के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में **"उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (टाइप–3 कक्षा 09 से 12 तक) हेतु आवेदन पत्र"** अंकित होना आवश्यक है।अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। लिफाफे के अन्दर दो पता लिखे तथा रू0 40 / –(रूपया चालीस मात्र) के डाक टिकट में लगे सादा लिफाफे अवश्य लिखे। अपूर्ण एवं त्रुटि होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
11. आवेदन पत्र के साथ अंक–पत्रों प्रमाण–पत्रों (शैक्षिक एवं प्रशिक्षण) चरित्र प्रमाण पत्र जन्मतिथि प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो, की स्व–प्रमाणित प्रतियां संलग्न किये जाएं।

साक्षात्कार/काउन्सिलिंग के समय समस्त उपरोक्त सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मीरजापुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।

12. किसी सेवा से बर्खास्त नैतिक/चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नही होगें। यदि चयनोपरान्त उक्त तथ्य प्रकाश में आता है तो बिना किसी नोटिस के संविदा समाप्ति कर दी जायेगी।
13. अस्पष्ट, अपूर्ण एवं हस्ताक्षर न किये गये आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।
14. अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग/साक्षात्कार के लिए आने पर कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।
15. उक्त पद शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए होगा। कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक पाये जाने पर संविदा अवधि अगले शैक्षिक सत्र के लिए बढ़ाई जा सकती है। कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक न होने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के संविदा किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
16. पदवार/विषयवार रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।
17. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मीरजापुर, बरियाघाट, मीरजापुर (उ0प्र0) पिन कोड– 231001 को दिनांक **09 मई 2025** को सांय **05:00 बजे तक** स्वीकार किये जायेगे। आवेदन केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही मान्य होगा। अन्य किसी माध्यम से भेजा गया आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(अनिल कुमार वर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर।

पृ०सं०– एस०एस०ए०/के०जी०बी०वी०/ 216-20 /2024–25 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. जिलाधिकारी महोदय, मीरजापुर।
02. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मीरजापुर।
03. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), विंध्याचल मण्डल मीरजापुर।
04. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, समग्र शिक्षा मीरजापुर।
05. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मीरजापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद के वेबसाइट **https://mirzapur.nic.in/** पर उपलोड करने का कष्ट करें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर।

उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (टाइप–3 कक्षा 09 से 12 तक) में शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्मिकों का चयन हेतु आवेदन पत्र

नवीनतम फोटो स्व हस्ताक्षरित

01. विज्ञापन संख्या–
02. आवेदित पद का नाम–
03. आवेदित विषय का नाम–
04. आवेदक का नाम–
(हाईस्कूल अंक पत्र के अनुसार)
05. लिंग–
06. पिता का नाम–
07. पति / पत्नी का नाम–
08. स्थाई पता–
09. पत्राचार का पता–
10. दूरभाष नम्बर एवं ई–मेल–
11. जन्मतिथि–
12. दिनांक 01.04.2024 को आयु वर्ष.......... माह............. दिन...........
13. राष्ट्रीयता–
14. आरक्षित श्रेणी (**1.**सामान्य, **2.**अ०पि०वर्ग, **3.**अनुसूचित जाति, **4.**अनु०जन जाति, 5.**EWS**).............
15. आधार नम्बर–
16. के०जी०बी०वी० में कार्य करने का अनुभव यदि कोई हो (छायाप्रति संलग्न करें)
नोट– प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो कि वर्तमान में आप प्रदेश किसी भी के०जी०बी०वी० में कार्यरत नहीं है। वर्ष 2020–21 में शासनादेशों के आलोक में आपकी संविदा का नवीनीकरण नही किया गया।
17. शैक्षिक योग्यता–

क्र०सं०	परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
01	जू०हा० स्कूल (कक्षा 8)						
02	हाईस्कूल						
03	इण्टरमीडिएट						
04	स्नातक						
05	प्रशिक्षित स्नातक (बी०एड० / एल०टी०)						
06	कम्प्यूटर						
07	टी०ई०टी०						
08	अन्य						

घोषणा पत्र

मैं... पुत्र / पुत्री / पत्नी................................ एतद द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मैंने विज्ञप्ति की पात्रता शर्तों को पूरी सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है। इस आवेदन पत्र में दिया गया सम्पूर्ण विवरण / सूचना सत्य है और मैंने इस विवरण / सूचनाओं में कोई तथ्य गोपन नहीं किया गया है। यदि कोई विवरण / सूचना आदि असत्य / गलत पायी जाये अथवा कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया हुआ पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति होने के उपरान्त विपरीत तथ्य प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जाये तथा नियमानुसार कार्यवाही की जाये। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओ से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र / अंक पत्र आवेदन करने की तिथि में मेरे पास उपलब्ध है।

दिनांक...................   अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

स्थान..........   (पूरा नाम व पता सहित)